77

संख्या– /XVI(1)/12/7(4)/12

प्रेषक,

ओम प्रकाश
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1

देहरादूनः दिनांक 8 अगस्त जुलाई,2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–29 आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–131/एक–1(1)/2012–13, दिनांक–18 जून, 2012 एवं वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–321/XXVII (1)/2012,दिनांक–19 जून,2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि में से **₹–487580 हजार (₹ अड़तालीस करोड़ पिचहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि **संलग्न विवरणानुसार** व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।
(2) उक्त व्यय करते समय वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–321/XXVII (1)/2012,दिनांक–19 जून,2012 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(3) किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स,2008, भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा।
(5) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
(7) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

कमशः––2

(8) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0 एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(9) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय,ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(10) विभागाध्यक्ष स्तर से आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम–17 पर प्रत्येक माह वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनेत्तर 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–03–औद्यानिक विकास के अन्तर्गत 01–अधिष्ठान –02–राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण (भारित)–04–सचिवालय परिसर का सौन्दर्यीकरण–05–मुख्यमंत्री आवास के उद्यानों का अनुरक्षण–06–विधान भवन परिसर एवं 13–बागवानी विकास परिषद के लम्बित देयकों का भुगतान के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(ओम् प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1015 /XVI(1)/12/7(4)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौडी/कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
7– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।